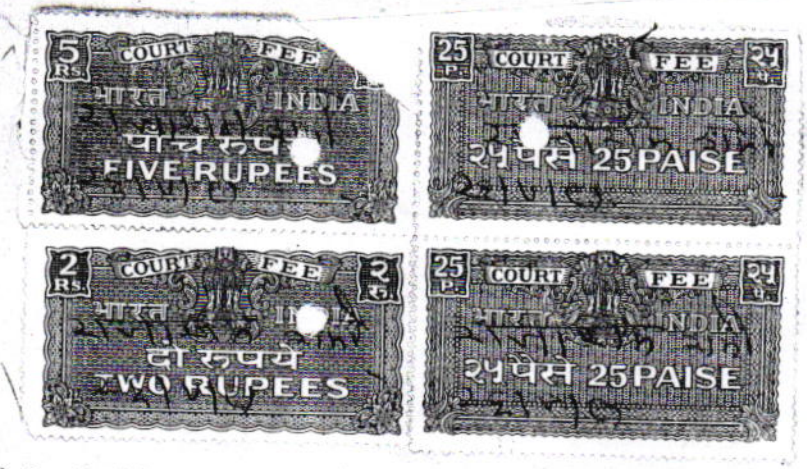

COURT FEE भारत INDIA 5 पाँच रुपये FIVE RUPEES
COURT FEE भारत INDIA 25 पैसे 25 PAISE
COURT FEE भारत INDIA 2 दो रुपये TWO RUPEES
COURT FEE भारत INDIA 25 पैसे 25 PAISE

51

न्यायालय बोर्ड ऑफ रैवेन्यू, मध्य प्रदेश. 7.50

प्र. क्र. /1991 निगरानी. निग० 131-म/91

355-II

दर्शनानन्द शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जमसारा तह. अटेर, जिला-भिण्ड
द्वारा: प्राचार्य, शा. उ. मा. वि. जमसारा
... प्रार्थी

26-7-91

विरुद्ध

1. शिव दयाल पुत्र मथुरा प्रसाद
2. जनमेजय
3. रामचन्द्र
4. सुदामा
5. छोटे
6. राममूर्ति

समस्त (2 से 6) पुत्रगण बद्री प्रसाद

7. बैजनाथ
8. राम विलास

पुत्रगण सूरज पाल

9. बाबूराम फौत वारिस राम रतन पुत्र बाबूराम.

समस्त निवासीगण : ग्राम जमसारा, तह. अटेर, जिला भिण्ड

... प्रतिप्रार्थीगण.

प्रार्थना-पत्र (अं) निगरानी विरुद्ध आदेश अपर आयुक्त चंबल संभाग आदेश दिनांक 30.11.90 पारित प्रकरण क्रमांक 40/88-89 अपील. अन्तर्गत धारा 50 रै. को.

·2 R-131-II/91 (निगरानी)

6-9-16

प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। यह निगरानी अपर आयुक्त चम्बल संभाग, ग्वालियर के प्रकरण कमांक 50/1978-79 एंव 137/1981-82 अपील में पारित संयुक्त आदेश दिनांक 30-11-1990 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ आवेदक के अभिभाषक श्री ओ0पी0शर्मा तथा अनावेदक कमांक 2 के अभिभाषक श्री आर0डी0शर्मा व्दारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । शेष अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है। यह प्रकरण वर्ष 1991 से लम्बित चला आ रहा है एंव अधीनस्थ न्यायालयों को कई बार पत्र लिखने एंव स्मरण हेतु अर्द्व शासकीय पत्र भेजने के वाद अभिलेख अप्राप्त रहा है इसलिये दोनों पक्षों के अभिभाषकों के आग्रह पर उपलब्ध अभिलेख के आधार पर बहस श्रवण कर प्रकरण

का निराकरण किया जा रहा है।

3/ उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से वस्तुस्थिति यह है कि अपर आयुक्त के आदेश दिनॉक 30-11-1990 में अंकित अनुसार ग्राम जमसारा स्थित भूमि के रामजस पुत्र पान सिंह भूमिस्वामी थे, जिनकी मृत्यु 19-7-1970 को हुई। मृतक व्दारा धारित भूमि के नामांत्रण के लिये तीन आवेदन कमशः बाबूराम, बैजनाथ, रामविलास ग्राम रिदोली ने दूसरा आवेदन जनमेजय पुत्र बद्रीप्रसाद ग्राम प्रतापपुरा ने तीसरा आवेदन कनिष्ठ महाविद्यालय जमसारा ने प्रस्तुत किये। नायव तहसीलदार अटेर ने प्रकरण कमांक 108/1969-70 अ-6 में सुनवाई कर आदेश दिनॉक 21-9-73 से उक्त आवेदकों को पात्र न पाकर एंव भूमिस्वामी की बेओलाद मृत्यु होने से भूमि म0प्र0शासन में वेष्ठित करने का निर्णय लिया। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड के समक्ष अपील होने पर प्रकरण कमांक 42/73-74 में पारित आदेश दिनांक 26-10-74 से नायव तहसीलदार का आदेश निरस्त करके प्रकरण उत्तराधिकार नियमों के अधीन विनिश्चित करने हेतु वापिस किया गया। नायव तहसीलदार के समक्ष प्रकरण वापिस आने पर पक्षकारों की सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 7-4-1975 पारित किया गया तथा मृतक खातेदार की भूमि पर जन्मेजय, रामचन्द्र, सुदामा, छोटलाल, राममूर्ति का नामान्तरण कर शेष आवेदन अमान्य किये गये।

नायव तहसीलदार के आदेश दिनांक 7-4-75 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत हुई। अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 22-9-75 से अपील निरस्त कर दी। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, चंबल संभाग के समक्ष अपील होने पर प्रकरण कमांक 16/1975-76 एंव अपील कमांक 192/75-76 में पारित संयुक्त आदेश दिनांक 30-3-1976 से अपील ऑशिकरूप से स्वीकार की गई तथा नायव तहसीलदार का आदेश दिनांक 7-4-75 एंव अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 22-9-75 निरस्त करते हुये भूमि शासन में वेष्ठित करने का निर्णय लिया गया ।

अपर आयुक्त के उक्तादेश के विरूद्ध राजस्व मण्डल, म0प्र0

XXXX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ.....

प्रकरण कमांक...131-दो/1991 निगरानी जिला भिण्ड

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभिभ हस्ताक्षर
	ग्वालियर में निगरानी कमांक 66-एक/1978 प्रस्तुत हुई, जो आदेश दिनांक 5-5-78 से स्वीकार करके अपर आयुक्त के आदेश निरस्त करते हुये प्रकरण कमांक 192/75-76 तथा प्र0क0 16/75-76 अपील में पक्षकारों की एकसाथ सुनवाई कर पुनः आदेश पारित करने हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया। अपर आयुक्त ने दोनों अपील प्रकरणों को कमशः प्रकरण कमांक 50/78-79 अपील एंव 137/81-82 अपील पर पुर्नपॅजीयन किया तथा पक्षकारों की सुनवाई कर सॅयुक्त आदेश दिनांक 30-11-1990 पारित किया तथा दोनों अपील अस्वीकार करते हुये अनुविभागीय अधिकारी व्दारा पारित आदेश दिनांक 22-9-75 एंव नायव तहसीलदार व्दारा पारित आदेश दिनॉक 7-4-1975 स्थिर रखे गये। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत हुई है। 3/ प्रकरण में आये उक्तानुसार तथ्यों से यह तथ्य निर्विवाद है कि ग्राम जमसारा स्थित भूमि के रामजस पुत्र पान सिंह भूमिस्वामी थे, जिनकी मृत्यु 14-7-1970 को बेओलाद हुई है। बेओलाद मृतक खातेदार की भूमि पर नामान्तरण के तीन दावेदार आवेदक कमशः बाबूराम, बैजनाथ, रामविलास ग्राम रिदोली , दूसरा आवेदन जनमेजय पुत्र बद्रीप्रसाद ग्राम प्रतापपुरा ने तीसरा आवेदन कनिष्ठ महाविद्यालय जमसारा हैं। विचार योग्य है कि जब तीनों दावेदारों के दावे की जॉच की गई तथा लेखी साक्ष्य एंव दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देने के वाद भी कोई दावेदार मृतक खातेदार की भूमि पर नामान्तरण हेतु दावा प्रमाणित नहीं कर सका, तब नायव तहसीलदार अटेर ने प्रकरण कमांक 108/1969-70 अ-6 में पारित आदेश दिनॉक 21-9-73 से भूमि	

म0प्र0शासन में वेष्ठित करने का निर्णय लिया है। प्रकरण में यह भी देखना है कि जब अनुविभागीय अधिकारी ने पुर्नजॉच हेतु प्रकरण वापिस किया एंव पुर्नजॉच में सभी पक्षकारों को अपने अपने नामान्तरण का दावा प्रमाणित करने का अवसर मिला, नायव तहसीलदार ने पूर्वादेश दिनांक 21-9-73 के विपरीत जाकर आदेश दिनांक 7-4-1975 से मृतक खातेदार की भूमि पर जन्मेजय, रामचन्द्र, सुदामा, छोटलाल, राममूर्ति का नामान्तरण स्वीकार किया है। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनॉक 22-9-75 से अपील निरस्त होने के उपरांत अपर आयुक्त के समक्ष अपील प्रकरण कमांक 16/1975-76 एंव अपील कमांक 192/75-76 प्रस्तुत हुई, अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 30-3-1976 से अपील स्वीकार कर नायव तहसीलदार का आदेश दिनांक 7-4-75 एंव अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 22-9-75 निरस्त कर दिया तथा भूमि शासन में वेष्ठित करने का निर्णय लिया ।

अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 30-3-76 के विरूद्ध जब राजस्व मण्डल में निगरानी कमांक 66-एक/1978 प्रस्तुत हुई, तब आदेश दिनांक 5-5-78 से निगरानी स्वीकार करके अपर आयुक्त के आदेश निरस्त करते हुये कमशः प्रकरण कमांक 16/1975-76 एंव अपील कमांक 192/75-76 को पुनः संयुक्त कर सुनवाई हेतु वापिस किया गया है।

4/ प्रकरण के अवलोकन पर पाया गया कि अपर आयुक्त चंबल संभाग ने प्रकरण कमांक 16/1975-76 एंव अपील कमांक 192/75-76 में पक्षकारों की पुनः सुनवाई की एंव स्वयं् के व्दारा पारित आदेश दिनांक 30-3-76 को पलटते हुये अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनॉक 22-9-75 को एंव नायव तहसीलदार के आदेश दिनांक 7-4-75 को यथावत् रख दिया। तइनुसार मृतक खातेदार की भूमि पर जन्मेजय, रामचन्द्र, सुदामा, छोटलाल, राममूर्ति का नामान्तरण यथावत् रखा गया। ध्यान देने योग्य है कि अपर आयुक्त के समक्ष ऐसा कौनसा अभिलेख प्रस्तुत हुआ अथवा ऐसी कौनसी परिस्थितियॉ निर्मित हुई कि उन्हें स्वयं् व्दारा पारित आदेश दिनांक 30-3-76 को निरस्त करते हुये

XXXX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ.....

प्रकरण कमांक...131–दो/1991 निगरानी जिला भिण्ड

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अ हस्ताक्षर
	नायव तहसीलदार के आदेश दिनांक 7–4–75 एंव अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 22–9–75 को यथावत् रखना पड़ा। अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 30–11–1990 के अवलोकन पर स्थिति स्पष्ट है कि उनके समक्ष ऐसे किसी नवीन तथ्य को अथवा अभिलेख को नहीं रखा गया है जिसके कारण उन्हें अपील स्वीकार करना पड़ी, अपितु अपर आयुक्त के प्रकरण में वही परिस्थितियॉ एंव वही अभिलेख रहे हैं जिनके परिप्रेक्ष्य में अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 30–3–1976 से अपील स्वीकार कर नायव तहसीलदार का आदेश दिनांक 7–4–75 एंव अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 22–9–75 निरस्त कर भूमि मध्य प्रदेश शासन में वेष्ठित करने वावत् नायव तहसीलदार अटेर के प्रकरण कमांक 108/1969–70 अ–6 में लिये गये निर्णय दिनॉक 21–9–73 को यथावत् रखा है। मामला शासन के हितों से जुड़ा है एंव वाद विचारित भूमि का भूमिस्वामी बेओलाद मरा है एंव नामान्तरण के दावेदार मृतक खातेदार से असम्बद्ध व्यक्ति हैं । 1. **भू राजस्व संहिता, 1959 – धारा 57 – विधिक अनुमान – राज्य सरकार को संबिधान में प्रदत्त समस्त राज्य की भूमियों पर स्वामित्व के अधिकार हैं जब तक कि विवादित भूमि पर व्यक्ति का धारणाधिकार का दावा सावित न कर दिया जावे।** 2. **भू राजस्व संहिता, 1959 – धारा 57 – राजस्व अधिकारी का कर्तव्य – जो वास्तविक क्लेम है उसको विफल नहीं होने देना चाहिये और जो बनावटी क्लेम है उसे सफल नहीं होने देना चाहिये। ग्रामीण जनता को न्याय मिले, यह राजस्व अधिकारी का कर्तव्य रखा गया है। बनावट क्लेम को सफल न होने देना लोकहित में है। (हरिनारायण बनाम स्टेट आफ म0प्र0 1973 रा.नि. 297 से अनुसरित)**	

विचाराधीन प्रकरण में नायव तहसीलदार ने आदेश दिनांक 21-9-73 में एंव अपर आयुक्त ने अपील प्रकरणों में पारित आदेश दिनांक 30-3-197 में तीन आवेदकों में से किसी आवेदक का दावा प्रमाणित नहीं होना नहीं माना है तब उन्हीं राजस्व अधिकारियों ने प्रकरणों के तथ्यों को उलट-पुलट करते हुये उन्ही के व्दाराशासन हित में वेष्ठित भूमि को असम्बद्व व्यक्तियों के हित में दिया जाना परिलक्षित हुआ हैं।

5/ भूमिस्वामी के गुम होने, बेओलाद मृतक होने अथवा अन्य कारणों से भूमिस्वामी के भूमि छोड़कर चले जाने के आधार पर भूमि की व्यवस्था एंव प्रबंध के लिये संहिता की धारा 176 में प्रावधान है। विचाराधीन प्रकरण में भूमिस्वामी बेओलाद मरा है । राज्य के अंतर्गत की सभी भूमियॉ राज्य शासन की है। विचाराधीन प्रकरण में संहिता की धारा 176 के अधीन भूमि पर अन्य का दावा/स्वत्व प्रमाणित नहीं होने से बेओलाद मृतक खातेदार की भूमि राज्य शासन में वेष्ठित होगी, जबकि व्यवहार न्यायालय से स्वत्व का दावा प्रमाणित नहीं कराया जाता। तद्नुसार निगरानी अॅशतः स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 50/1978-79 अपील एंव 137/81-82 में संयुक्त रूप से पारित आदेश दिनांक 30-11-1990 एंव अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड व्दारा प्रकरण कमांक 217 एंव 239/1974-75 अपील में पारित आदेश दिनांक 22-9-75 एंव नायव तहसीलदार व्दारा पारित आदेश दिनांक 7-4-75 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं। परिणामतः अपर आयुक्त, चंबल संभाग व्दारा प्रकरण कमांक 16/1975-76 एंव अपील कमांक 192/75-76 में पारित संयुक्त आदेश दिनांक 30-3-1976 तथा नायव तहसीलदार अटेर के प्रकरण कमांक 108/1969-70 अ-6 में पारित आदेश दिनॉक 21-9-73 उचित पाये जाने से यथावत् रखे जाते हैं।

सदस्य